यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 94/2022

उनवान:– रूपन्ती बनाम मगनबाई वगै0

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे ग्राम बैरोज की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 301, 298 मे सायला 1/4 हिस्से की तथा गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से की तथा गैरसायल न0 2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान सायला के हिस्से की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार वर्णित आराजीयात मे सायला 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायलान सायला को अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान एवं बेदखल करने की धमकी देते है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.07.2022 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम बैरोज की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 301, 298 मे सायला 1/4 हिस्से की तथा गैरसायल न0 1, 1/4 हिस्से की तथा गैरसायल न0 2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायला द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र बटवारे का पेश किया है। पत्रावली मे गैरसायलान को उपस्थित होने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे है। इससे प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.07.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है अर्थात गैरसायलान को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि ग्राम बैरोज की आराजीयात ख0न0 625/0.29, 626/0.29, 592/0.29, 592/864/0.10, 593/0.29, 593/865/0.12, 625/866/0.18, 625/867/0.18 है0 मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:52:19 IST
Reason: SelfAttested